प्रेस नोट **दिनांक 10.07.2026**

जनपद मऊ पुलिस की बड़ी सफलता, थाना साइबर क्राइम, मऊ पुलिस द्वारा आवेदक के खाते से फ्रॉड हुई 10,00,000/- रूपये(दस लाख रूपये) सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम, मऊ द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम व अपराधियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। थाना साइबर क्राइम, मऊ के प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह के नेतृत्व में साइबर टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवेदक वंसत कुमार चौहान निवासी ग्राम धौरहरा भातकोल पोस्ट वालिदपुर थाना मोहम्मदा बाद गोहना जनपद मऊ द्वारा एनसीआरपी पोर्टल शिकायत संख्या 23104260075394 के माध्यम से सूचना दी कि अज्ञात द्वारा आवेदक के खाते से 1089000/- रूपये का फ्रॉड कर लिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक से सम्पर्क कर प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा मु0अ0सं0 08/2026 पंजीकृत किया गया तथा विवेचना निरीक्षक योगेन्द्र प्रसाद सिंह को सुपुर्द की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में वादी के खाते से फ्रॉड हुई 10,00,000/- रूपये धनराशि को होल्ड कराते हुए वादी के खाते में वापस करायी गयी। जनपद मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930/www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा निकटतम पुलिस थाना/साइबर क्राइम थाना से संपर्क करें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 25,400/-रूपये साइबर पुलिस टीम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित वि मौर्या निवासी मूंगेशर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ मोबाइल- VIVO T4 5G, साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना

सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिको तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 30,000-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मधुबन व प्रभारी निरीक्षक मधुबन के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, आलोक सिंह निवासी उचाई इनामीपुर सिपाह थाना मधुबन जनपद मऊ रुपये की 30,000 रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना सरायलखन्सी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 30,000 /- रुपये वापस कराया गया।

थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 54,150-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक घोसी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, 1. अजय कुमार मौर्य पुत्र विरेन्द्र मौर्य निवासी अकल्ही थाना घोसी जनपद मऊ रुपये की 24,000 रुपये धनराशि, 2. अम्बर अली पुत्र सम्बर अली निवासी बड़ागांव जनपद मऊ की 31,150 रुपये अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त

शिकायत के आधार पर थाना घोसी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ितों के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 54,154 /- रुपये वापस कराया गया।

03 शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार कब्जे से तीन चोरी के मोबाइल फोन, एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस व एक मिस कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा में दिनांक 10.07.2026 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर ख्वाजाजहाँपुर मछली मण्डी के पास रेलवे लाइन पुल के नीचे तीन संदिग्ध व्यक्ति किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दो टीमों का गठन कर घेराबन्दी की गयी। पुलिस टीम को देखकर तीनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया।

पूछताछ किया गया तो व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः (1) अभिषेक यादव उर्फ कल्लू पुत्र सुदर्शन यादव निवासी बहरीपुर बड़ेगांव थाना रानीपुर जनपद मऊ, (2) अविनाश तिवारी पुत्र रमेश तिवारी निवासी गोपालपुर काली मन्दिर थाना हुसैनपुर जनपद सिवान (बिहार) तथा (3) आकाश तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी ग्राम चैनवा थाना रसूलपुर जनपद छपरा (बिहार) बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ कल्लू के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद मिस कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त अविनाश तिवारी के कब्जे से एक अदद Realme 11 Pro 5G मोबाइल तथा अभियुक्त आकाश तिवारी के कब्जे से एक अदद HMD की-पैड मोबाइल एवं एक अदद OPPO कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्तगण मोबाइलों के सम्बन्ध में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 204 /2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण - पूछताछ में अभियुक्त अविनाश तिवारी एवं आकाश तिवारी द्वारा बताया गया कि वे दोनों रिश्ते में साढ़ू हैं तथा मऊ शहर में किराये का कमरा लेकर कपड़े की फेरी का कार्य करते हैं। फेरी करने के दौरान अवसर मिलने पर भीड़भाड़ वाले स्थानों की रेकी कर मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चोरी किये गये मोबाइलों को बाद में खोलकर उनके पार्ट्स अलग-अलग बेच देते हैं। अभियुक्त अविनाश ने बरामद Realme मोबाइल को भीटी चौक क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया तथा बताया कि पूर्व में भी कई मोबाइल चोरी कर उनके पार्ट्स बेच चुके हैं। अभियुक्त आकाश तिवारी द्वारा बरामद दोनों मोबाइलों के सम्बन्ध में बताया गया कि दोनों मोबाइल चोरी के हैं, जिनके लॉक की जानकारी उसे नहीं है। अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ कल्लू ने पूछताछ में बताया कि बरामद अवैध तमंचा वह अपनी सुरक्षा एवं चोरी के दौरान पकड़े जाने पर लोगों को डराकर भाग निकलने के उद्देश्य से अपने पास रखता था।

पंजीकृत अभियोंग-

1. पर मु0अ0सं0 204 /2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद अवैध तमंचा .315
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद मिस कारतूस .315 बोर
4. एक अदद चोरी किया मोबाइल फोन Realme 11 Pro 5G
5. एक अदद चोरी किया मोबाइल फोन HMD (की-पैड)
6. एक अदद चोरी किया मोबाइल फोन OPPO कम्पनी का

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक : 10.07.2026

समय : रात्रि 01:30 बजे

स्थान : ख्वाजाजहाँपुर मछली मण्डी के पास रेलवे लाइन पुल के नीचे, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता विवरण –

1. अभिषेक यादव उर्फ कल्लू पुत्र सुदर्शन यादव निवासी बहरीपुर बड़ेगांव थाना रानीपुर जनपद मऊ।
2. अविनाश तिवारी पुत्र रमेश तिवारी निवासी गोपालपुर काली मन्दिर थाना हुसैनपुर जनपद सिवान (बिहार)।
3. आकाश तिवारी पुत्र विनोद तिवारी निवासी ग्राम चैनवा थाना रसूलपुर जनपद छपरा (बिहार)।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण</u> –

अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ कल्लू

मु0अ0सं0 204 /2026 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मऊ

मु.अ.सं. 435/25 धारा 111(2),304(2),317(2),317(4) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

मु.अ.सं. 437/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

मु.अ.सं. 32/25 धारा 109, 190, 191(2), 191(3), 303(2), 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली , मऊ

मु.अ.सं. 336/24 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस. थाना कोतवाली मऊ

मु.अ.सं. 81/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मऊ

मु.अ.सं. 78/24 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि थाना कोतवाली मऊ

मु.अ.सं. 361/21 धारा 186, 308, 323, 333, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली मऊ

हत्या का प्रयास करने वाला 01 नफर अभियुक्त-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 10.07.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर बसारतपुर अंडरपास से मु0अ0सं0 133/26 धारा 109(1)/134 बीएनएस में वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ श्यामसुरत पासवान पुत्र स्व0 रामाशंकर निवासी ग्राम राजधानी थाना झगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. मोनू उर्फ श्यामसुरत पासवान पुत्र स्व0 रामाशंकर निवासी ग्राम राजधानी थाना झगहा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 133/26 धारा109 (1)/134 बीएनएस

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 10.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 386 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 06 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 15,622-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व थानाध्यक्ष कोपागंज के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, इनामुल्लाह पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम चमन रोड फुलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ रुपये की 15,622 रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोपागंज में नियुक्त साइबर टीम द्वारा

तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 15,622 /- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए कुल 02 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 37,000/-रुपये जनपदीय साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10/07/2026 को, 1. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन राजू निवासी सिंघपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ मोबाइल-Nova2 जिसकी कीमत 15000रू0, 2. थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीड़ित प्रीतम यादव पुत्र दहारी यादव निवासी नोनियापुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ की वीवो जिसकी कीमत लगभग 22000/- रुपये है, थानो की साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिको तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 10.07.2026 को 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय एसपीएल (जे) एससी/ एसटी कोर्ट जनपद मऊ कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना सरायलखन्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 343/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्टके आरोपी 01 अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र स्वर्गीय सुरेश यादव निवासी पिपरीडीह मड़इया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में जेल मे बितायी गयी अवधि व ₹5000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।